भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3163
12 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

अवैध कॉलोनियों का प्रसार

3163. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :
श्री कुरुवा गोरांतला माधव :
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अवैध कॉलोनियों के प्रसार की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का अवैध कॉलोनियों की वृद्धि को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : शहरों में अनधिकृत कॉलोनियों का नियंत्रण और विनियमन संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मुख्य योजना और भवन विनियमों का विनियमन करना और उन्हें लागू करना संबंधित स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में है, जो कि अनधिकृत कॉलोनियों के प्रसार को रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करती हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसके क्षेत्राधिकार में स्थानीय निकाय है, ने विकास क्षेत्र में अनधिकृत कब्जा/निर्माण और भूमि के संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

i. मासिक आधार पर खाली भूमि के फोटोग्राफ अपलोड करना।
ii. खाली भूमि पर चाहरदीवारी/फेंसिंग का निर्माण एवं साइनबोर्ड का सुस्पष्ट प्रदर्शन।
iii. अतिक्रमणों का आसानी से पता लगाने तथा उन्हें हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई दल (क्यूआरटी) का गठन।
iv. अतिक्रमणों का समय पर पता लगाने, उनके बारे में समय पर सूचना देने को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप का विकास करना।
v. डीडीए भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए आम जनता की सहायता लेने के लिए सामाजिक सतर्कता दल गठित किए गए हैं।

डीडीए ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण रोकने/उसे हटाने के लिए विधि अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु डीडीए के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल (एसटीएफ) का भी गठन किया है।

*****